

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

मंगलवार, 29 जून, 2010 / आषाढ़ 08, 1932 (शक)

संख्या-82

सदस्यों की नजरबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली, जिला नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: -

“मुझे आपको ससम्मान यह सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य डॉ. जगदीश मुखी, श्री कुलवन्त राणा, श्री रमेश विघ्नी, श्री ओ. पी. बब्बर व डॉ. एस.सी.एल गुप्ता को दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 65 के तहत कानून व्यवस्था व जन शांति बनाये रखने के लिए प्रथम बैरीकेड, पुलिस थाना संसद मार्ग के सामने से दिनोंक 18.06.2010 को अपराहन 12.15 बजे नजरबंद किया गया।

उन्हे उसी दिन अर्थात दिनोंक 18.06.2010 अपराहन 12.25 बजे रिहा कर दिया गया।”

पी.एन.मिश्रा
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)

Tuesday, 29th June 2010/ Ashadh 08, 1932 (Saka)

No. 82

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from ACP, New Delhi Distt., New Delhi.

“I have the honour to inform you that Hon'ble Members of Legislative Assembly Delhi; Dr. Jagdish Mukhi, Shri Kulwant Rana, Shri Ramesh Bidhuri, Shri O.P. Babber and Dr. S. C. L. Gupta were detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 for maintaining law and order and public peace from Ist barricade in front of Police Station Parliament Street, New Delhi at 1215 hours on 18.06.2010.

They were released at 1225 hours from the same place on the same date.”

P. N. MISHRA
Secretary